

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय— डा0 अब्दुस सलाम, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि0 दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि0 (2) दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक LR: 090620251000239 के आलोक में डा0 अब्दुस सलाम, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है।

2 उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी लंबित अन्वेषण/निरीक्षण प्रतिवेदन स0 462/2010-11 एवं 02/2011-12 के निष्पादन के क्रम में कोई वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 अब्दुस सलाम से की जाएगी।

3 डा0 अब्दुस सलाम की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.01.2025 है।

4 अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापक

394/3/

/स्वा0, पटना, दिनांक

10/7/25

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 अब्दुस सलाम, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा, पत्राचार का पता-इस्लाम नगर, वार्ड नं0-26, नेशनल एजेन्सी के निकट, डाकघर+थाना-जिला-अररिया, पिन-854311, मो0नं0-8405850439 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव